27.5.24 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित
प्रकरण मे पूर्व मे फर्द बटवारा रिपोर्ट पर बहस
सुनी जा चुकी है। वकील वादी ने प्राप्त फर्दबटवारा
रिपोर्ट अनुसार दावा। डिक्री किया जाने का निवेदन
किया है। पत्रावली मे फर्द बटवारा अनुसार
दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। अन्तिम
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली
किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::— 83 / 2020

दौलतराम पिता ताराचंद्र धाकड निवासी खरडी तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1— भागीरथ पिता सेवा जाति धाकड निवासी अनोपपुरा तह0 बेगूँ

2— भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

उपस्थित ::— श्री आशीष सोनी

अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांकः— 27.05.2024

निर्णय वाद अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पत्रावली को निस्तारण हेतु प्रशासन गॉवो के संग अभियान कैम्प दौलतपुरा पर रखाया गया। वादी की ओर से वाद अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिवक्ता श्री आशीष सोनी द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा अनोपपुरा प0ह0 दौलतपुरा में वादी व प्रतिवादी की संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की कृषि आराजीयात स्थित है उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजी वादी व प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का 1/3 तथा प्रतिवादी का 2/3 हक हिस्सा पृथक पृथक निहित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार से हैः—

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
70	880 / 608	1.0200 हैक्टर

यह कि वादपत्र में वर्णित उक्त कृषि आराजीयात पर वादी व प्रतिवादी अपने अपने हक व हिस्से पर मौके पर काबिज होंकर काश्त करते चले आ रहे है। कृषि आराजीयात संयुक्त होने के कारण वादी एव प्रतिवादी के मध्य आए दिन सीमा को लेकर एवं घास आदी काटते समय एवं हंकाई जुताई करते समय व लगान जमा कराते समय विवाद होता रहता है। विवाद के स्थाई समाधान हेतु मुझ वादी द्वारा दिनांक 25.08.202 को प्रतिवादी से तहसील में चलकर आपसी सहमति से आराजी का हक हिस्से अनुसार बंटवारा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिससे वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई हैं। वाद कारण दिनांक 25.08.2020 से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

वाद वर्णित कृषि आराजीयात का हक व हिस्सानुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कब्जेनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार विभाजन किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। वाद वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने से वाद न्यायालय आपके श्रवणाधिकार में है।

अतः न्यायालय श्रीमान से वादी की प्रार्थना है कि वादपत्र पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें:—

1— कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी मुझ वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की होकर वादी का उक्त कृषि आराजीयात में 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 2/3 हक हिस्सा पृथक पृथक निहित होकर इसी हक व हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

2— कि वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित आराजी का मुझ वादी व प्रतिवादी के मध्य मौके पर कब्जेनुसार भूमि का हक हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में अलग अलग खाते से दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

3— कि वाद व्यय एवं वकील मेहनताना भी हम वादीगण को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

4— कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावें।

उपरोक्त वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण मे प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार, बेगूँ वादपत्र धारा 53 राज.काश्त.अधि. में फोर्मल पक्षकार होने से उनका जवाब दावा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह दावा पत्रावली साक्ष्य वादी में विचाराधीन थी, पत्रावली को निस्तारण हेतु प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प दौलतपुरा पर रखाया गया ,प्रकरण में पुनः वादी एव प्रतिवादी को कैम्प में उपस्थित होने हेतु नोटिस भी जारी किये गये किन्तु अभियान में वादी दौलतराम उपस्थित आए जबकि प्रतिवादी सं. 1 बावजूद

सूचना के उपस्थित नहीं आए, पत्रावली में वादी दौलतराम की साक्ष्य मौके पर ली जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी को प्रदर्श किया गया, प्रकरण में दस्तावेज नकल जमाबंदी का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें पाया कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी दौलतराम का हिस्सा 1/3 दर्ज रेकार्ड है जिसे पृथक करा वंटवाडा कराने का अधिकार वादी को प्राप्त है। वादी का वादपत्र अ.धा.53 राज.काश्त.अधि. विभाजन का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है मौजा अनोपपुरा प0ह0 दौलतपुरा की वर्णित आराजी संख्या 880/608 रकबा 1.0200 हैक्टर भूमि में वादी दौलतराम पिता ताराचन्द धाकड का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 भागरीथ पिता सेवा धाकड का हिस्सा 2/3 अनुसार रखते हुए आराजी का कब्जेनुसार विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/—रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आराजी का बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ न्यायालय में प्रस्तत किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राथमिक डिकी जारी की जाकर प्राथमिक डिकी की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को वास्ते विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु दी जाती हैं।

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिकी की पालना मे तहसीलदार बेगूँ को वर्णित आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक/राजस्व/भू.अ./2024/325 दिनांक 02.02.2024 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसमे वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट सही होने एवं दावा अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया गया है। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तिम डिकी किया जाता है।

अतः वादीगण वादपत्र 53 राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा अनोपपुरा प0ह0 दौलतपुरा की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1— दौलतराम पिता ताराचन्द धाकड नि.खरडी सा. देह खातेदार रहन चि.सह.भूमि.वि. बैंक शाखा बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
880/608 मेसे	0.34	बरानी	1.48

2— भागीरथ पिता सेवा धाकड नि अनोप पुरा सा. देह खातेदार रहन चि.सह.भूमि.वि. बैंक शाखा बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
880/608 मेसे	0.68	बरानी	2.96

उपरोक्त वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूल वाद मे अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगॅू जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 83 / 2020

दौलतराम पिता ताराचंद्र धाकड निवासी खरडी तह0 बेगॅू

वादी

बनाम

1– भागीरथ पिता सेवा जाति धाकड निवासी अनोपपुरा तह0 बेगॅू
2– भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगॅू जिला चितौडगढ़ (राज0)

वादी की ओर से अधिवक्ता आशीष सोनी तथा प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थिति में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.05.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगॅू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का फर्द बटवारा अनुसार स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वादीगण वादपत्र 53 राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा अनोपपुरा प0ह0 दौलतपुरा की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1– दौलतराम पिता ताराचन्द धाकड नि.खरडी सा. देह खातेदार रहन चि.सह.भूमि.वि. बैंक शाखा बेगॅू

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
880 / 608 मेसे	0.34	बरानी	1.48

2– भागीरथ पिता सेवा धाकड नि अनोप पुरा सा. देह खातेदार रहन चि.सह.भूमि.वि. बैंक शाखा बेगॅू

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
880 / 608 मेसे	0.68	बरानी	2.96

उपरोक्त वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगॅू

दिनांक:–

क्रमांक / सरिस्ता / 2024 /

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगॅू को अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को भिजवाई जावे

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगॅू

मूल वाद मे अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::— 83/2020
दौलतराम पिता ताराचंद्र धाकड निवासी खरडी तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1— भागीरथ पिता सेवा जाति धाकड निवासी अनोपपुरा तह0 बेगूँ
2— भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

वादी की ओर से अधिवक्ता आशीष सोनी तथा प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थिति में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.05.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का फर्द बटवारा अनुसार स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिकी किया जाता है:—

अतः वादीगण वादपत्र 53 राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा अनोपपुरा प0ह0 दौलतपुरा की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1— दौलतराम पिता ताराचन्द धाकड नि.खरडी सा. देह खातेदार रहन चि.सह.भूमि.वि. बैंक शाखा बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
880/608 मेसे	0.34	बरानी	1.48

2— भागीरथ पिता सेवा धाकड **नि अनोप पुरा सा. देह खातेदार रहन चि.सह.भूमि.वि. बैंक शाखा बेंगूँ**

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
880/608 मेसे	0.68	बरानी	2.96

उपरोक्त वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।
अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

कमांक/सरिस्ता/2024/ दिनांक:—
प्रतिलिपि तहसीलदार बेंगूँ को अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को भिजवाई जावे

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ